उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटियाँ ★ कुमाऊँ क्षेत्र हल्द्वानी (नैनीताल) ★

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या : RENEW0524008910

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि ए0 भाडिया मैमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट हल्द्वानी , Gandhi Aashram Fatehpur, Haldwani Nainital Uttarakhand 263139 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : UK06603082019001999 , दिनांक : 22-APR-1999 को दिनांक : 21-APR-2029 तक के लिए नवीकृत किया गया है। रु 4200 /- की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक : 15-JUN-2024

सोसाइटी-रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

Signature valid
Digitally signed by: Mrs Smita Joshi
Reason :SOCIETY E-Approval
Location: Nainital Treasury
Date and Time: 15-06-2024 11:03:10

NO : CBSE/3530057/EX-04388-2223/2022-23/ Dated: 23/07/2021

The Manager,
A B M HR SECONDARY SCHOOL HALDWANI NAINITAL UK
A B M PUBLIC SCHOOL,P O FATEHPUR,HALDWANI
UTTARAKHAND,NAINITAL, 263139
(M: 05946-260147)

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level .

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	**3530057**
School No	81064
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2027

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	**Up to Class-XII** The number of sections shall be restricted in accordance with **'H'** above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	

- The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.
- The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.
- For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet

Important Notes : 1) School is required to maintain school website as per clause 2.4.9 of affiliation bye laws with the name of school 2) The school is required to upload Mandatory public disclosure in school's website as per appendix -IX of Affiliation Bye-laws 2018 and upload the link on its website along with documents School is required to appoint wellness teacher as per affiliation bye laws.

Print

A Bhandiya Memorial Educational Trust

Gandhi Ashram, Fatehpur Haldwani, District- Nainital

List of Management Committee for The Year- 2024-25
(effective from Date 01-05-2024)

Sl. No.	Name / Father's/ Husband's Name	Address	Designation	Occupation
1.	Mrs. Vinay Sharma W/o Late Mr. Sant Ram Sharma	Ramri Chhoti, Fatehpur, Distt. Nainital	President	Agriculture
2.	Mrs. Anjali Uniyal W/o Mr. Pavitra Narayan Uniyal	Haripur, Dehradun, Distt. Dehradun	Vice President	House Wife
3	Mr. Shashank Sharma S/o Late Sant Ram Sharma	1, Ramdi Chhoti, Near Abm Public School, Fatehpur, Haldwani, Distt. Nainital	Manager/ Secretary	Doctor
4.	Mrs. Pushpa Sharma W/o Mr. Sanjay Sharma	Bhatt Colony, Gali No. 1, Mukhani, Bamori Talli Bandobasti, Haldwani, Distt. Nainital	Member	House Wife
5.	Mrs. Anuradha Sharma W/o Late Mr. Mayank Sharma	Vill. Ramri Chhoti, P.O. Fatehpur, Haldwani, Distt. Nainital	Deputy Manager	House Wife
6.	Mr. Aman Aswal S/o Mr. Jaybeer Singh Aswal	D-38, Nehru Colony, Dehradun, Dehradun G.P. Distt. Dehradun	Member	Business
7.	Mrs. Pratishtha Sharma W/o Mr. Diwas Sharma	Ramri Chhoti, Fatehpur, Distt. Nainital	Member	House Wife
8.	Mr. Dinesh Singh Bisht S/o B. S. Bisht	Bachi Nagar No. 1, Kathgharia, Distt. Nainital	Member	Business
9.	Mr. Sanjay Kashyap S/o Late Ramesh Dutt Kashyap	16/30 B, Kashyap Market, Daresi No. 1, Agra Fort, Distt. Agra	Member	Business
10.	Mr. Naresh Consul S/o Mr. Bhuprakash Consul	93-94, Ganpati Vihar Phase-1, Haldwani, Distt. Nainital,	Member	Business
11.	Mr. B. C. Joshi S/o Late Mr. Leela Joshi	130, Kaladhungi Road, Amrit Ashram, Gair Vaishali, Bithoria No. 1, Haripur Nayak, Haldwani, Distt. Nainital	Member	Service

विनय शर्मा

ए भांडिया मेमोरियल
एजूकेशनल ट्रस्ट
सचिव

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)

पत्रांक– सी0एफ0ओ0–नै–6(इ0) / 2022 दिनांक–अक्टूबर 1, 2022

सेवा में,

Owner/Manager,
A B M SCHOOL,
FATEHPUR HALDWANI,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND.

विषय– अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदन पत्र सं0–20670993 दिनांक–27.09.2022 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांक–28.09.2022 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा A B M SCHOOL, FATEHPUR HALDWANI, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, इस कार्यालय को प्रेषित आख्या के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1.परिसर में रिजर्व वाटर टैंक 30 हजार लीटर क्षमता का प्राविधान किया गया है।

2.संस्थान परिसर में 21 अदद ABC टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर–04 किग्रा क्षमता, 02 अदद CO₂ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर–4.5 किग्रा क्षमता एवं 02 अदद रेतयुक्त फायर बकेट्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि –

1. संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2. संस्थान / परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख–रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाए रखेंगे।

3. भवन बाहर निकलने के रास्ता व सभी सेफ्टी द्वार प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखे जायें।

4. अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्कासन प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।

5. विद्युत मिटर बोर्ड / विद्युत पैनल के आस–पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।

6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टेस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क–(कोषागार शीर्षक मद 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) जमा कराया जायेगा। अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण–पत्र / SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत / अपलोड करना होगा।

7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण–पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण / कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश / सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्रांक–अ– / फा0स्टे0 / 2022 के आधार पर A B M SCHOOL, FATEHPUR HALDWANI, को दिनांक–01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2025 तक अधिभोग (Occupancy) / संचालन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)

संशोधित नियमावली

ए० भांडिया मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट हल्द्वानी ।

1- संस्था का नाम - ए० भांडिया मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट,हल्द्वानी

2- संस्था का पंजीकृत पता- ए०भांडिया मैमोरियल एजूकेशनल नर्सरी स्कूल, ग्राम गांधी आश्रम,पो०ऑ० फतेहपुर,हल्द्वानी (नैनीताल)

3- संस्था का कार्यक्षेत्र- जिला नैनीताल उ०प्र०

4- सदस्य एवं सदस्यता (क) जो व्यक्ति 10।रु० वार्षिक चन्दा देगा वह साधारण सदस्य बनाये जायेंगे ।

(ख) जो व्यक्ति इस संस्था को 500।रु० या इतनी मूल्य की सम्पत्ति एक बार में दान देगा वह इस संस्था के स्थायी सदस्य बनाये जायेंगे,परन्तु ऐसे सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति पर ही बनाये जायेंगे ।

(ग) जो व्यक्ति संस्था की स्थापना में विशेष सहयोग देंगे वे आजीवन सदस्य होंगे ।

(घ) कोई भी गणमान्य व्यक्ति संस्था का संरक्षक होगा ।

5- संस्था के अंग:- (क) साधारण सभा

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति ।

6- साधारण सभा: (क) इस सभा में साधारण,स्थायी व आजीवन सदस्य शामिल होंगे -

(ख) साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी,जिसकी सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा दी जायेगी

(ग) बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा परन्तु स्थगित बैठक के लिये कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।उपस्थित तीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पूर्ण प्रस्ताव पारित किये जायेंगे तो मान्य होंगे ।

प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना तथा उसके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट व अन्य प्रस्ताव पास करना तथा संस्था की संस्तुति के लिये [illegible]

Manager
A Bhandia Memorial Educational Trust
Gandhi Ashram Fatehpur, Haldwani
Distt.-Nainital (U.K.)

A.B.M. Public School,
Manager.

7- प्रबन्धकारिणी समिति :-

(क) ए0 भंडियार मेमोरियल नर्सरी स्कूल के अन्तर्गत चलने वाली सभी संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी, और संस्थान को दो समितियां होंगी जो सभी प्रबन्धकारिणी समिति का अनुमोदन करेगी ।

(ख) इस समिति के पदाधिकारियों सहित सदस्य संख्या ग्यारह होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/मंत्री एक उपप्रबन्धक रहेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(ग) इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन होगी, जिनकी सूचना एक सप्ताह पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा दी जायेगी, साधारण स्थिति में कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी ।

(घ) समस्त बैठक का कोरम 2/3 होगा परन्तु स्थगित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध न होगा पूर्व प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होगा, जो सर्वमान्य होगा ।

(ङ) संस्था की उन्नति के लिये सभी आवश्यक कार्य करना, वार्षिक बजट अन्य प्रस्ताव तैयार करना पास कराना, लागू कराना आदि

8- सदस्यता की समाप्ति:-

मृत्यु, पागल, दिवालिया, सदस्यता शुल्क न देना, त्यागपत्र देना, संस्था को हानि पहुंचाना, लगातार तीन बैठकों में बगैर कारण बताये अनुपस्थित रहना ।

9- रिक्त स्थान की पूर्ति:-

प्रबन्धकारिणी समिति के आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति चुनाव में शेष अवधि के लिये साधारण सभा बहुमत द्वारा साधारण सभा से मनोनीत करेगा ।

10- नियमों में संशोधन-

संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्तन साधारण सभा की 2/3 बहुमत पर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 12 के

के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

11- संस्था का कोष: संस्था का समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा किसी डाकघर में संस्था के नाम जमा किया जायेगा तथा इसका आहरण प्रबन्धक/मंत्री के हस्ताक्षरों से निकाला जायेगा ।

12- अदालती कार्यवाही:- संस्था किसी पर मुकदमा चलाये या संस्था पर को मुकदमा चलाये तो मुकदमे प्रबन्धक/मंत्री के नाम से दायर किये जायेंगे ।

13- आडिट- संस्था के वार्षिक आय व्यय की जांच साधारण सभा द्वारा नियुक्त आडिटर से कराया जायेगा तथा रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशन में पेश की जायेगी ।

14- पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

1- अध्यक्ष- समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा समान मत आने पर निर्णायक मत देकर प्रस्ताव पास करना तथा संस्था की उन्नति के लिये आवश्यक सुझाव एकत्र करना व आदेश पारित करना।

2- उपाध्यक्ष- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्य उपाध्यक्ष करेगा ।

3- प्रबन्धक/मंत्री- {1} संस्था की उन्नति के लिये सभी आवश्यक कार्य करना, दान, चन्दा, अनुदानप्राप्त करना, रसीद देना तथा संस्था के खाते में जमा करना ।

{2} कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति और अवकाशआदि का कार्य करना ।

{3} सरकारी व अर्धसरकारी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना व आदेश प्राप्त करना ।

{4} बैठकों का आयोजन करना, ऐजेण्डा नोटिस निकालना, कार्यवाही लिखना समस्त कागजात सुरक्षित रखना ।

{5} अध्यक्ष के परामर्श द्वारा संस्था के लिये कम से कम 200रु० तक अपने अधिकार द्वारा व्यय करना

Manager

B.M. Public School

Manager.

तत्पश्चात स्वीकृति प्रदान करना ।

14- उप प्रबन्धक- प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रबन्धक कार्य करेगा परन्तु विशेष कार्यों को करने के लिये अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

15- संस्था के अभिलेख: रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर केशबुक डाक पंजिका आदि ।

16- विघटन: यदि संस्था किसी कारण विघटित होने की दशा में होगी तो समस्त कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

17- नियमावली में अन्य नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में:-

प्रबन्धक ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली में कुछ विशेष नियम बढ़ाने की दिशा निर्देश किया गया है, जो निम्नलिखित है-

§क§ विद्यालय का पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

§ख§ विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

§ग§ विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रखेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा

§घ§ संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/ काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता

[illegible]

सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

§ड़§ संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन मान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

§च§ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी, और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

§छ§ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी ।

§ज§ विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों क से ज तक बिना शासन के पूर्वानुमोदन के परिवर्तन/परिवर्धन /संशोधन नहीं किये जायेंगे ।

Manager/Secretary
A. B. M. Public School
Fatehpur, Haldwani
ह0प्रबन्धक Nainital.

सभी नियमों को सुनने के उपरान्त सभी उपस्थित सदस्यों के नियमावली में समावेश किये जाने की सहमति प्रकट की और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया और कहा गया रजिस्टर कार्यालय से संशोधित नियमावली को पंजीकृत कराया जाय । अन्य प्रस्ताव न होने पर सभा समाप्त हो गयी ।

A.B.M. Public School,
Manager.

Manager
A Bhandia Memorial Educational Trust
Gandhi Ashram Fatehpur, Haldwani
Distt.-Nainital (U.K.)

Name of the Society-A. Bhandia Educational Trust

Address: Ramri Chhoti, Fatehpur, Haldwani

List of management committee for the year 2019 -20

S.No.	Name	Address	Designation	Occupation
1.	Mrs. Vinay Sharma w/o Late Sant Ram Sharma	Ramri Chhoti, Gandhi Ashram, Fatehpur	Chairman	Agriculture
2.	Mr. Anjali Uniyal w/o Mr. Pavitra Narayan Uniyal	Haripur, Dehradun	Vice Chairman	House Wife
3.	Mr. Shashank Sharma s/o Late Sant Ram Sharma	Ramri Chhoti, Gandhi Ashram, Fatehpur	Manager/ Secretary	Agriculture
4.	Mrs. Pushpa Sharma w/o Mr. Sanjay Sharma	Bhatt Colony, Mukhani Bandobasti, Mukhani, Haldwani	Member	House Wife
5.	Mr. Mayank Sharma s/o Late Sant Ram Sharma	Ramri Chhoti, Gandhi Ashram, Fatehpur	Member	Govt. Service
6.	Mr. Nanda Ballabh s/o Mr. Gangadhar	Bhagwanpur, PO Haripura Nayak, Haldwani	Member	Agriculture
7.	Mrs. Pratishtha Sharma w/o Mr. Diwas Sharma	Ramri Chhoti, Gandhi Ashram, Fatehpur	Member	Business
8.	Mr. Dinesh Singh Bisht s/o Mr. B. S. Bisht	Bacchi Nagar, Lamachaur, Haldwani	Member	Business
9.	Mr. Sanjay Kashyap s/o Late Ramesh Dutt Kashyap	14/301B Daresi No 1, Agra	Member	Business
10.	Mr. Naresh Consul s/o Mr. Bhuprakash Consul	Heeranagar, Haldwani	Member	Business
11.	Mr. B. C. Joshi s/o Late Mr. Leela Joshi	Amrita Ashram, Bitthoria No 1, Unchapul, Haldwani	Member	Business

ए भांडिया मेमोरियल
एजूकेशनल ट्रस्ट

सचिव

संख्या-4102/15-7-93-16(21)/1992

प्रेषक,

श्री आलोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीतविहार नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 1993

विषय:- एच०बी०एम० पब्लिक स्कूल गांधी आश्रम फतेहपुर हल्द्वानी नैनीताल सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एच०बी०एम० पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी नैनीताल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

1- विद्यालय का पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5- संस्था से शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

फोटो प्रति प्रेषित 11.3.94

....2

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय आगामी 3 वर्ष के भीतर विद्यालय हेतु सम्पूर्ण निजी भवन बनवा लिया जायेगा तथा समस्त कर्मचारियों शिक्षक/शिक्षणेत्तर का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा । यथा समय शासन को भी अभिलेख मय प्रमाण सहित अवगत कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

।अशोक गांगुली।
उप सचिव ।

पृ०सं० 4182।।।/15-7-1993 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक कुमायूं मण्डल नैनीताल ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, एम०बी०एम० पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी नैनीताल ।

आज्ञा से,

।अशोक गांगुली।
उप सचिव ।

फोटो प्रति प्रमाणित
11.3.94